पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 मई, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 02, 1942 शक सम्वत्) [संख्या–16

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	227–231	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	231–234	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	13–14	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड — ...	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	149–157	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना/तैनाती आदेश

12 मार्च, 2020 ई0

संख्या 244/2020/08(100)/XXVII(8)/2016–तत्काल प्रभाव से राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्न उपायुक्तों को निम्न सूची में उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित वर्तमान पदभार से अवमुक्त करते हुए कॉलम–5 में अंकित कार्यालय/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अवमुक्त किया गया कार्यालय/स्थान	नवीन तैनाती का कार्यालय/स्थान
1	2	3	4	5
1.	श्री यशपाल सिंह, उपायुक्त, राज्य कर	उपायुक्त, राज्य कर मुख्यालय, देहरादून तथा प्रभार एस0टी0एफ0 राज्य कर, देहरादून	उपायुक्त, राज्य कर मुख्यालय देहरादून	एस0टी0एफ0 राज्य कर, देहरादून
2.	श्री दीपक बृजवाल, उपायुक्त, राज्य कर	सम्बद्ध–एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर, देहरादून जोन, देहरादून	सम्बद्ध–एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर, देहरादून जोन, देहरादून	उपायुक्त, राज्य कर मुख्यालय, देहरादून

3. उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के स्थल पर तत्काल योगदान प्रस्तुत करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5

कार्यालय आदेश

13 अप्रैल, 2020 ई0

संख्या 329/XXVIII(5)/2020–08(मे0का)TC/2019–उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर शासन की अधिसूचना संख्या–281/XXVIII(1)/2019-08(मे0का)/2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 एवं शासनादेश संख्या–828/XXVIII(1)/2019-08(मे0का)/2019 दिनांक 25 जून, 2019 के माध्यम से असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर अस्थाई रूप से राजकीय मेडिकल कालेजों में नियुक्ति प्रदान की गयी। चयनित अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा योगदान न दिये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–1315/XXVIII(1)/2019-08(मे0का)टी0सी0/2019 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के माध्यम से निम्न तालिका में अंकित संकाय सदस्यों (असिस्टेंट प्रोफेसर) को अन्तिम अवसर के रूप में दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक सेवा में योगदान दिये जाने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया गया था :–

क्र0सं0	चयनित अभ्यर्थी का नाम	विभाग
राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून		
1.	डा0 जितेन्द्र सिंह	एनेस्थिसियोलॉजी
2.	डा0 रजत रंजन	आर्थोपेडिक्स
राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी		
3.	डा0 मेहर बानो	कम्युनिटी मेडिसन
4.	डा0 काजल जैन	कम्युनिटी मेडिसन
5.	डा0 अपर्णा भारद्वाज	पैथोलॉजी
6.	डा0 निधि नेगी	माइक्रोबायोलॉजी
7.	डा0 पंकज वर्मा	जनरल मेडिसन
8.	डा0 वर्षा गंगवार	आब्स एण्ड गायनी
9.	डा0 अंशुल शर्मा	फिजियोलॉजी
10.	डा0 निधि कुमारी	आब्स एण्ड गायनी
11.	डा0 रमेश चन्द्र	पीडियाट्रिक्स
राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर		
12.	डा0 उर्वशी कोटवाल	ब्लड बैंक
13.	डा0 खुशबु जुनेजा	कम्युनिटी मेडिसन
14.	डा0 चेतन बंसल	ई0एन0टी0
15.	डा0 मनु भारद्वाज	आप्थलमोलॉजी
16.	डा0 सुरेश चन्द्र	आर्थोपेडिक्स
17.	डा0 तृप्ता कौर	माइक्रोबायोलॉजी
राजकीय मेडिकल कालेज, अल्मोड़ा		
18.	डा0 भानुप्रताप सिंह	कम्युनिटी मेडिसन
19.	डा0 किरन	पैथोलॉजी
20.	डा0 शिवांगी राणा	स्किन वी0डी0

2. उक्त तालिका में उल्लिखित चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समयान्तर्गत योगदान न दिये जाने के फलस्वरूप शासन के सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

अधिसूचना

नियुक्ति (संशोधन)

13 अप्रैल, 2020 ई0

संख्या 330/XXVIII(5)/2020–08(मे0का)TC/2019–उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर शासन की अधिसूचना संख्या–281/XXVIII(1)/2019-08(मे0का)/2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 के माध्यम से असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर अस्थाई रूप से राजकीय मेडिकल कालेजों में नियुक्त प्रदान की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त उक्त अधिसूचना संख्या–281/XXVIII(1)/2019-08(मे0का)/2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थी को तालिका के कॉलम–5 में उल्लिखित मेडिकल कालेज में तैनाती प्रदान की जाती है :–

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	विभाग का नाम	पूर्व तैनाती	वर्तमान तैनाती
1	2	3	4	5
1.	डा0 प्रियंका असवाल	पैथोलॉजी	राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर	राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी

3. उक्त अभ्यर्थी 15 दिन के भीतर अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

4. राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर (पैथोलॉजी) का पद रिक्त होने तक डा0 प्रियंका असवाल का वेतन वर्तमान में प्रोफेसर (पैथोलॉजी) के रिक्त पद के सापेक्ष आहरित किया जायेगा।

5. अधिसूचना संख्या–281/XXVIII(1)/2019-08(मे0का)/2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 में उल्लिखित शेष प्रतिबन्ध/शर्तें यथावत रहेंगी।

नितेश कुमार झा,
सचिव।

सहकारिता, गन्ना, चीनी अनुभाग–1

नियुक्ति पत्र/विज्ञप्ति

11 मई, 2020 ई0

संख्या 30/XIV-1/20–3(18)2019–लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा आयोजित "उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित सिविल सेवा परीक्षा–2016" के आधार पर चयनोपरान्त की गयी संस्तुति के क्रम में श्रीमती मोनिका चुनेरा पत्नी श्री सुशान्त स्वरूप, निवासी 137/5, मेघदूत एन्क्लेव कालीदास रोड़, देहरादून अनुसूचित जाति (उ0म0) को सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड (राजपत्रित) के पद पर ₹ 56100–₹ 177500 लेवल–10 में अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्त करने की तिथि से 02 वर्ष की परीवीक्षा (जिसे नियमानुसार बढाया जा सकता है) पर रखने का आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त अभ्यर्थी की सेवा की शर्तें उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली, 2016 तथा समय–समय पर शासन द्वारा जारी की गई अन्य नियमावलियां व शासनादेशों के अधीन विनियमित होगी।

3. उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता अलग से निर्धारित की जायेगी।

4. उक्त अभ्यर्थी को शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, अधिवास प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो) की प्रमाणित प्रतियां, चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण–पत्र, चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा पत्र जिसके वे स्वामी हो, अपना बायोडाटा, इण्डियन सीक्रेटस एक्ट–1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने सम्बन्धी घोषणा–पत्र, केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी सेवाओं के सम्बन्ध में घोषणा तथा स्वयं के कर्जदार न होने का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण की अनुमति नहीं भी दी जा सकती है।

5. नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। नव नियुक्त अभ्यर्थी को विभागीय प्रशिक्षण हेतु आगामी प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित करने हेतु पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

6. यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका सख्या–195/2019 (एस0बी0) श्वेता शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में तथा रिट याचिका संख्या–202/2019 (एस0बी0) सतीश चन्द्र जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,

आर मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

अधिसूचना

17 मार्च, 2020 ई0

संख्या 371/XXVIII-1/20–01(39)2018–चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है।

अतएव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अतिआवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30, वर्ष 1966) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा–3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तत्काल प्रभाव में छः माह की अवधि के लिये उत्तराखण्ड राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के समस्त चिकित्सकों एवं समस्त कार्मिकों की समस्त सेवाओं को अत्यावश्यक सेवायें घोषित करते हुए, उनकी हडताल आदि को निषिद्ध करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से,

युगल किशोर पन्त,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 हिन्दी गजट/132–भाग 1–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 मई, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 02, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

March 19, 2020

No. 74/UHC/Admin.B/2020--The spread of COVID-19 (Novel Corona Virus), in India and abroad, has caused serious health issues to human life. To avoid the spread of the said virus, both the Government of India and the State Government have issued advisories, including taking necessary and immediate measures like closure of Public Institutions, Offices, etc. In this regard, a representation dated 19-03-2020 has also been received from Advocates practising in this High Court seeking Closure till 31st March, 2020 or to take-up fresh matters only.

Having regard to the safety of litigants, advocates, court staff, etc., and with a view to the assist the efforts being made by both, the Government of India and the State Government, to prevent the spread of COVID-19 (Novel Corona Virus), and in continuation and in partial modification of the High Court of Uttarakhand Notification No. 72/UHC/Admin.B/202 dated 16-03-2020, the Hon'ble Chief Justice is pleased to issue the following directions, in larger public interest, regarding the conduct of business of the High Court, to be applicable with immediate effect and till further orders;

1. It is notified that the following category of cases shall be considered as urgent matters;

   (i) Cases in which death penalty has been awarded;

   (ii) Petitions for habeas corpus and matters relating thereto;

   (iii) Cases relating to imminent apprehension of demolition of property;

(iv) Cases relating to dispossession/ eviction;

(v) Cases relating to violation of human rights;

(vi) Cases relating to and of public importance;

(vii) Cases seeking bail/ short-term bail, except bail in appeal against conviction; and

(viii) Cases filed against orders refusing bail/ short-term bail, except bail in appeal against conviction.

2. Apart from (1) above, other fresh cases seeking urgent and immediate relief, duly supported by an urgency application filed by the Advocate giving reasons in support of his/ her claim that it is not a case which can wait till 15-04-2020, shall be entertained with the prior permissions of concerned Judge.

3. Urgent application for urgent and immediate relief in any pending case, based on intervening events, duly supported by an urgency application filed by the Advocate specifically stating that it is not a case which can wait till 15-04-2020, may also be entertained with the prior approval of the concerned Judge.

4. Cases at item Nos. 2 & 3 shall be mentioned before the concerned court, or a copy of the application shall be placed in the drop-box kept outside the Court-hall, as the concerned Judge may decide.

5. Except as decided by the concerned Judge, no pending case shall be listed for hearing; and all the pending cases already fixed for hearing (either date fixed or otherwise), shall stand adjourned.

Sd/-

HIRA SINGH BONAL,
Registrar General.

NOTIFICATION

March 20, 2020

No. 79/XIV-a/45/Admin.A/2012--Ms. Lalita Singh, 2nd Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 58 days *w.e.f.* 06-01-2020 to 03-03-2020 with permission to prefix 05-01-2020 as Sunday holiday, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30-05-2011 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

March 20, 2020

No. 80/XIV-10/Admin.A/2008--Ms. Parul Gairola, ADJ/ Fast Track Special Court (POCSO), Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 24-02-2020 to 07-03-2020 with permission to prefix 23-02-2020 as Sunday holiday and suffix 08-03-2020 to 10-03-2020 as Holi holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 21, 2020

No. 81/UHC/Stationery/2020--The Hon'ble High Court of Uttarakhand has been pleased to declare 07th, 08th and 09th of April, 2020 as holidays in the High Court, as a step to prevent spreading of Corona Virus. In lieu thereof, 29th August, 03rd of October & 05th December, 2020 (all Saturdays) shall be the Court Working days, for the High Court of Uttarakhand.

NOTIFICATION

March 24, 2020

No. 82/UHC/Stationery/2020--The Hon'ble High Court of Uttarakhand has been pleased to declare 26th, 27th, 30th and 31st of March and 1st of April 2020, as holidays, in the High Court, as a step to prevent spreading of Corona Virus. In lieu thereof, 26th of December (Saturday) & 28th to 31st of December, 2020 shall be the Court Working days, for the High Court of Uttarakhand. Lock down of Court shall be treated as "closure" within the meaning of the Explanation appended to section 4 of the Limitation Act, 1963.

NOTIFICATION

March 24, 2020

No. 83/UHC/Stationery/2020--Having considerd the safety measures already taken by High Court of Uttarakhand to combat the impending threat of COVID-19 (coronavirus) and considering the prevalent situation in view of the lockdown of the State till 31-03-2020, declared by the State Government and in view of requests of Bar Associations in this regard, Hon'ble High Court of Uttarakhand, is pleased to close all the Subordinate Courts of the State *w.e.f.* 26th of March till 04.04.2020. However, the cases of utmost importance/urgency, the District Judge shall decide as to whether urgency exist or not and to take action, as per convenience.

Remands and Bails of the arrested person shall be done as per the holidays practice. In lieu of the closure of the Courts, during the aforesaid period, all the Courts shall be working in coming summer vacation/ winter vacation and no recess will be admissible to the officers.

By Order of the Hon'ble Court

Sd/-

HIRA SINGH BONAL,
H.J.S.
Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, AT NAINITAL

NOTIFICATION

April 02, 2020

No. 85/UHC/Stationery/2020--Having considered the steps already taken by High Court of Uttarakhand to combat the impending threat of COVID-19 (corona virus) and considering the 21 days lockdown declared by the Government of India, in continuation with the High Court of Uttarakhand Notification No. 83/UHC/Stationery/2020, Dated 24.03.2020, whereby the Subordinate Courts of the State have been closed till 04.04.2020, High Court of Uttarakhand is pleased to direct that the Subordinate Courts will remain closed till 14.04.2020 with further directions that the orders regarding remand and bails work and matters of utmost importance/ urgency issued *vide* the said Notification dated 24.03.2020, will continue to apply.

By the Order,

Sd/-

HIRA SINGH BONAL,
Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

April $\frac{30,}{29}$ *2020*

No. 1843/UHC/I-a-2/Admin.(A)/2020--Certified that, in compliance of Notification no. 91/UHC/I-a-2/Admin.(A)/2020 dated April 28, 2020 of High Court of Uttarakhand Nainital, the Charge of Office on the vacant post of the Sr. System Officer, in the High Court of Uttarakhand Information Technology (I.T.) Cadre has been taken over by the undersigned in the forenoon of April 29, 2020.

NITIN KUMAR,

Countersigned,

HIRA SINGH BONAL,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand, Nainital.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 हिन्दी गजट/132–भाग 1–क–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 मई, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 02, 1942 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर

अधिसूचना की सूचना

19 फरवरी, 2020 ई0

पत्रांक 628/पं0चुना0/सा0निर्वा0/उप प्रधान/2020–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून की अधिसूचना सं0–4212/रा0नि0आ0अनु0–2/2836/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2020 के क्रम में मैं रंजना राजगुरू जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), बागेश्वर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद बागेश्वर के विकास खण्डों के समस्त ग्राम पंचायतों के उप प्रधान, ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन–2020 हेतु निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार कराये जाने हेतु अधिसूचित करती हूँ :–

नाम निर्देशन पत्रों का जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जॉच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
26.02.2020 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक)	26.02.2020 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक)	26.02.2020 (दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक)	26.02.2020 (अपराह्न 12.30 बजे से अपराह्न 01.00बजे तक)	26.02.2020 (अपराह्न 01.30 बजे से अपराह्न 03.30.00 बजे तक)	26.02.2020 (अपराह्न 04.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जॉच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह (प्रतीक) आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करायी जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज **(सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन)** नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के नियम 117(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के सामान्य निर्वाचन के लिए इस अधिसूचना की सूचना में मतदान हेतु विर्निदिष्ट **दिनांक 26.02.2020** को ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।

उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु संबंधित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सूचना–पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।

नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 19 फरवरी, 2020 से 22 फरवरी, 2020 एवं दिनांक 24 फरवरी, 2020 तथा 25 फरवरी, 2020 को पूर्वान्ह 10:00 बजे से 05:00 बजे तक तथा तदोपरान्त दिनांक 26 फरवरी, 2020 को पूर्वान्ह 08:00 बजे से 09:30 बजे तक संबंधित ग्राम पंचायत में विर्निदिष्ट स्थान पर की जायेगी।

प्रारूप–क

विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	उप प्रधान ग्राम पंचायतों की संख्या
बागेश्वर	182	182
कपकोट	119	119
गरूड	106	106

रंजना राजगुरू,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी, (पं0),
बागेश्वर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 हिन्दी गजट/132–भाग 3–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 मई, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 02, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

16 नवम्बर, 2019 ई0

सार्वजनिक सूचना

पत्रांक–1875/उपविधि/2019–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 541 के अन्तर्गत नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत और इस सम्बन्ध विषय से सम्बन्धित पूर्ववर्ती सभी नियमों को अवक्रमित करते हुए नगर निगम सीमान्तर्गत लगने वाले सभी साप्ताहिक बाजारों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए निम्न प्रकार शुल्क दरें निर्धारित करते हुए उपनियम बनाये गये है। जो सूचनार्थ प्रकाशित है :–

उपविधियाँ

1. **संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारम्भ**
   यह उपविधियाँ नगर निगम हल्द्वानी की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लगने वाले साप्ताहिक बाजारों, साप्ताहिक बाजार स्थलों या उसके किसी भाग व उसमें व्यवसाय करने वाले व्यवसाईयों को एवं व्यवसाय करने की रीति को विनियमित, नियंत्रित करने हेतु **साप्ताहिक बाजार शुल्क एवं विनियम उपविधि, 2019** कहलायेगी तथा यह गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी।
2. **परिभाषाएं**
   (क) **अधिनियम**–अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) से है।

(ख) **नगर निगम सीमा**– नगर निगम सीमा का तात्पर्य नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र एवं राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निकाय सीमा से बाहर किसी निगम बाजार से है।

(ग)**महापौर**–महापौर का तात्पर्य नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम के निर्वाचित महापौर से है।

(घ)**नगर आयुक्त**– नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी से है।

(ड़) **निगम**–निगम का तात्पर्य नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम की निर्वाचित बोर्ड से है।

3. नगर निगम सीमा के अन्तर्गत लगने वाले साप्ताहिक बाजारो में कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करेगा तो उसे निगम बोर्ड द्वारा व्यवसाय हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
4. साप्ताहिक बाजार को व्यवस्थित करने, निर्धारित शुल्क के निरीक्षण करने का अधिकार नगर आयुक्त या उनके द्वाराइस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी जो कि कर निरीक्षक पद की श्रेणी से कम न हो, साप्ताहिक बाजारों में स्टाल, ठेला फड़ की जाँच करने व जमा रसीद मांगे जाने का अधिकारी होगा। व्यवसायी को जमा रसीद दिखाना अनिवार्य होगा। नियुक्त प्राधिकारी जमा रसीद निरस्त करने व स्टाल हटाने का भी अधिकारी होगा।
5. कोई ऐसा व्यक्ति जो संक्रामक रोग से पीड़ित हो स्वयंखाघ्य सामग्री संबंधी व्यवसाय नहीं करेगा और ना ही किसी भी संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को सेवायोजित करेगा जिससे जनसामान्य प्रभावित हो।
6. नगर आयुक्त इन उपविधियो के अधीन साप्ताहिक बाजार बाजार में खान–पान से सम्बन्धित व्यवसाययथा दुकानों, हलवाईयों, सब्जी विक्रेताओं आदि के विरूद्व गुणवत्तायुक्त पदार्थ न रखने व विक्रय करने के विरूद्ध कार्यवाही करने अथवा सड़ी गली फल सब्जियों को रखने व विक्रय करने के विरूद्ध कार्यवाही करने अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थ को नष्ट करने का अधिकार होगा।
7. नगर आयुक्त की अनुमति के बिना साप्ताहिक बाजार में कोई भी व्यक्ति/व्यापारी किसी भी प्रकार के

ध्वनि यन्त्रों लाउडस्पीकर, स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा।

8. साप्ताहिक बाजार में प्रतिबन्धित प्लास्टिक पॉलीथीन/थरमाकौल से बनी सामग्री का उपयोग वर्जित होगा।
9. इन उपविधियों के अधीन साप्ताहिक बाजार में खान–पान से सम्बन्धित व्यवसायों, दुकानदारों, व्यक्तियों की दुकान से संलग्न व सामने प्रवेश कक्ष के समक्ष दुकान का कूड़ा व अन्य अनुपयुक्त गन्दी वस्तुयें रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा, जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक हो।
10. इस उपविधि के किसी प्राविधान के बारे में राज्य सरकार यदि सन्तुष्ट है, कि उपविधि के किसी प्राविधान का दुरूप्रयोग किया जा रहा है, अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है, तो उक्त प्राविधानोंको परिष्कृत करने, छूट देने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
11. कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी फुटपाथों एवं सार्वजनिक मार्ग को बाधित कर व्यवसाय करने का पात्र नहीं होगा।
12. केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य विधिस्थापित संस्था के द्वारा विधि/उपविधियों में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाईसैन्स इन उपविधियों से भिन्न होगे।
13. जो व्यवसाय उपनियमों द्वारा निर्धारित सूची में नहीं है। उसके दरों का निर्धारण करने का अधिकार निगम बोर्ड का होगा।

14. नगर आयुक्त किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जहां नगर निगम अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल पशु वध या मांस बिक्री किये जाने का संदेह हो। नगर आयुक्त मानव भोजनार्थ बिक्री के लिए प्रदर्शित की गई वस्तुओं के निरीक्षण एवं अस्वास्थ्य कर वस्तुओं आदि का अभिग्रहण करेंगे।
15. साप्ताहिक बाजार के उपरोक्त प्रावधानों में किसी प्रतिकूल परिस्थिति की व्यवस्था ना होने की दशा में उसके निस्तारण का अधिकार नगर आयुक्त/महापौर में निहीत होगा।
16. साप्ताहिक बाजार हेतु जो दरें निर्धारित होगी उसका प्रत्येक चार वर्ष में पुर्ननिर्धारण किया जायेगा।
17. नगर निगम सीमा के अन्दर नगर निगम या उसके द्वारा अधिकृत एजेन्सी/ठेकेदार द्वारा ही साप्ताहिक बाजारों का संचालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम सीमा में साप्ताहिक बाजार पूर्णतया प्रतिबन्धित होंगे।

क्र0सं0	मद	नगर निगम द्वारा प्रस्तावित दरें
1.	मिर्च, गल्ला, धनिया, हल्दी, आटा, चावल, अड्डी, कपास व रूई, नमक आदि के थोक पर	40 रूपये प्रति फड़
2	मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, गल्ला, आटा, चावल, अड!डी, कपास व रूई के फुटकर में	40 रूपये प्रति फड़
3	घी थोक में	300 रूपये प्रति फड़
4	घी फुटकर में	200 रूपये प्रति फड़
5	गुड़ भेली	40 रूपये प्रति फड़
6	जूता फरोस	40 रूपये प्रति फड़
7	जूता गड़ने वाला	40 रूपये प्रति फड़
8	बिस्कुट, मोमबत्ती खीमची में	40 रूपये प्रति फड़
9	फल, तरबूज, खरबूज, आम तथा अन्य फल	40 रूपये प्रति फड़
10	सब्जी फुटकर में	40 रूपये प्रति फड़
11	सब्जी; आलू घुइयां, बैंगन आदि थोक में	40 रूपये प्रति फड़
12	पटवा, पूजा सामग्री	40 रूपये प्रति फड़
13	नेचेबन्द	40 रूपये प्रति फड़
14	मनिहार	40 रूपये प्रति फड़
15	पतिया फरोरा	40 रूपये प्रति फड़
16	कुम्हार	40 रूपये प्रति फड़
17	टोकरी बांसी आदि	40 रूपये प्रति फड़
18	नाई फड़	40 रूपये प्रति फड़
19	अचार मुरब्बा आदि	40 रूपये प्रति फड़
20	भुर्जी	40 रूपये प्रति फड़ या खोमचा
21	दर्जी	200 रूपये प्रति फड़
22	छीपी लिहाफ बेचने वाला	200 रूपये प्रति फड़
23	कपड़े की दुकान बजाज	200 रूपये प्रति फड़
24	बिसाती	200 रूपये प्रति फड़
25	तेली	100 रूपये प्रति फड़

26	हलवाई	200 रूपये प्रति फड़
27	लोहार	40 रूपये प्रति फड़
28	मछली व अण्डे	40 रूपये प्रति कांडिया
29	पंसारी	200 रूपये प्रति फड़
30	गन्ना फरोस	200 रूपये प्रति फड़
31	जुलाहा	40 रूपये प्रति फड़
32	बकरा फरोस	200 रूपये प्रति फड़
33	कसेरा अल्मोनियम पीतल कलई के बर्तन	200 रूपये प्रति फड़
34	कम्बल फरोस	40 रूपये प्रति फड़
35	सोफे मेज आदि	200 रूपये प्रति फड़
36	छान्न बाबड़	40 रूपये प्रति फड़
37	चारपाई के पाये, हरस, हल आदि	40 रूपये प्रति फड़
38	चटाई	200 रूपये प्रति चटाई
39	चाय, सोडा लेमन, मलाई, बर्फी, आइसक्रीम आदि	40 रूपये प्रति फड़
40	तम्बाकू, सूती, पान का तम्बाकू आदि	40 रूपये प्रति फड़
41	मुर्गी, बत्तख	40 रूपये प्रति अदद
42	चाट खोमचा	40 रूपये प्रति खोमचा
43	घास	40 रूपये प्रति गाड़ी या खोमचा
44	लकड़ी का गठ्ठा	300 रूपये प्रति गाड़ी
45	खोमचा पान बीड़ी, सिगरेट आदि	200 रूपये प्रति फड़
46	इमारती लकड़ी चौखट आदि	200 रूपये प्रति फड़
47	बतासे,खिलौना खाड़ आदि	40 रूपये प्रति फड़
48	रेवड़ी गजक आदि	40 रूपये प्रति फड़

नोटः– 1.फड़ का आशय 6X6 वर्ग फिट के स्थान/स्टॉल/हाथ ठेला से होगा।

दण्ड

प्रत्येक ऐसे व्यवसायी जो बिन्दु संख्या 17 से भिन्न उपरोक्त उपविधियों के किसी भी भाग/अंश का किसी प्रकार का उल्लघंन ऐसे जुर्माने से जो रू0 1000/– (रू0 एक हजार मात्र) तक अर्थदण्ड हो सकता है और उल्लघंन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लघंन की दोषसिद्धि के पश्चात, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिस दौरान ऐसा उल्लघंन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से जो रू0 50/– प्रतिदिन हो सकता है, दण्डनीय होगा। बिन्दु सं0 17 के उल्लघंन पर प्रतिदिन के लिये रू0 10000/–(दस हजार) तक अर्थदण्ड हो सकता है और उल्लघंन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लघंन की दोष सिद्ध के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिस दौरान उल्लघंन जारी रहा उक्त जुर्माने की राशि के गुणांक हो सकता है। दण्डनीय होगा।

चन्द्र सिंह मर्तोलिया,
नगर आयुक्त,
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

डॉ0 जोगेन्दर पाल सिंह रौतेला,
महापौर,
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम।

कार्यालय नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार

06 फरवरी, 2020 ई0

सार्वजनिक सूचना

पत्रांक–622/नगरीय ठोस अपशिष्ठ/2019–20–नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार सीमान्तर्गत **उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ज) (च)** के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–128 की उपधारा–1(ii)(iii) एवं धारा–294 के तहत विभिन्न व्यापार और आजीविका पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 399/वी–95–204 (जरनल)/9 दिनांक 20.10.1994 के अनुसार विभिन्न व्यवसायों हेतु **"व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि–2019"** बनायी जाती हैं, जो **नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301(1)** के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर, हरिद्वार को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :–

"व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि–2019"

1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ–

क–यह उपविधि नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार **"व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि– 2019"** ' कहलायेगी।

ख–यह उपविधि नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार की सीमा में प्रवृत्त होगी।

ग–यह उपविधि नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाऐं–

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) **"नगर पालिका "** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार से हैं।

(ख) **"सीमा"** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार की सीमाओं से हैं।

(ग) **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार से हैं।

(घ) **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ड़) **"बोर्ड"** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों से है।

(च) **"अधिनियम"** का तात्पर्य **उ0प्र0, नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त)** संशोधन एवं उपान्तरण आदेश–2002 से है।

(छ) **"लाइसेन्स"** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार की सीमान्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यापार और आजीविका के लाइसेन्स दिये जाने एवं उनसे निर्धारित शुल्क वसूली से हैं।

(ज) **"अवधि"** का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा (1 अप्रैल से 31 मार्च) 1 वर्ष के लिए तक दिये जाने वाले व्यवसायिक लाइसेन्स से हैं।

3– लाइसेन्स– आवेदक द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने हेतू आवेदन पत्र के साथ दो फोटो (पासपोर्ट साइज) खींची होनी तथा आवेदन में व्यवसाय का मद एवं विवरण भी देना होगा।

4– प्राप्त आवेदन पत्र पर नगर पालिका द्वारा समुचित विचारोपरान्त 15 दिवस के अन्दर शुल्क लेकर लाइसेन्स दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा, जिसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी।

5– सूची में वर्णित व्यवसायिक लाइसेन्स 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच व्यवसादयों द्वारा प्रत्येक दशा में बनाया जाना अनिवार्य होगा। इस लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च (एक वित्तीय वर्ष) तक वैध होगी अन्यथा स्थिति में विलम्ब शुल्क जो 10 प्रतिशत लाइसेन्स अधिकारी द्वारा निर्धारित करते हुए वसूल किया जायेगा।

6– लाइसेन्स जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

7– जांचकर्ता के जांच के समय व्यवसाय के सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता का होगा।

8– लाइसेन्स अधिकारी स्वयं अथवा अपनी एजेन्सी, अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जांच का कार्य सम्पादित करा सकता है, जो नगर पालिका के कर निरीक्षक स्तर से कम नहीं होगा।

9– लाइसेन्सधारक अपना व्यवसाय बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अन्दर नगर पालिका में अपने पुराने लाइसेन्स विवरण के साथ लिखित रूप में उपलब्ध करा देगा।

10– उक्त सूची में वर्णित लाइसेन्सों के नियमों का उल्लंघन होने की दशा में लाइसेन्स अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाइसेन्स निरस्त कर सकता है। लाइसेन्स अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करता है तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार में निहित होगा।

11– व्यवसायिक लाईसेन्स की दरें प्रतिवर्ष निम्नवत होगी, जो व्यापारी/व्यक्ति लाईसेन्स नही बनाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बकाया लाईसेन्स की धनराशि की वसूली 10 प्रतिशत सर–चार्ज सहित भू–राजस्व के रूप मे वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आर0सी0) जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।

व्यवसायिक लाईसेन्स शुल्क की दरें

क्र0 सं0	मद का नाम	लाइसेन्स शुल्क की प्रस्तावित दर वार्षिक
1	2	3
	होटल लाजिंग/गेस्ट हाउस/आश्रम/रेस्टोरेन्ट	
1.	होटल लाजिंग/गेस्ट हाउस/आश्रम 10 शैया तक	15,00.00
2.	होटल लाजिंग/गेस्ट हाउस/आश्रम 11 से 20 शैया तक	2,000.00
3.	तीन सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैया से 30 शैया तक	5,000.00
4.	उपरोक्त 31 शैया से 40 शैया तक	10,000.00
5.	उपरोक्त 41 शैया से 50 शैया तक	15,000.00
6.	उपरोक्त 50 शैया से ऊपर	50000.00
7.	तीन सितारा होटल	10,000.00
8.	पाँच सितारा होटल	15,000.00
9.	रेस्टोरेन्ट उच्च श्रेणी	10,000.00
10.	रेस्टोरेन्ट मध्यम श्रेणी	5,000.00
11.	रेस्टोरेन्ट सामान्य श्रेणी	3,000.00
	परिवहन	
12.	घोड़ा तांगा	100.00
13.	रिक्शा किराये पर	2500.00
14.	रिक्शा (निजी चालित)	200.00
15.	ठेला/ठेली	300.00
16.	हाथ ठेली	250.00
17.	बैलगाड़ी/भैंसा गाड़ी	200.00
18.	ट्रेक्टर ट्रॉली/छोटा हाथी	2000.00
19.	अन्य चार पहियों के वाहन (व्यवसायिक प्रयोग हेतू सभी वाहन)	5000.00
20.	मोटर गैराज	1500.00
21.	स्कूटर गैराज/रिपेयर शॉप	1000.00
22.	मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स/सर्विस)	10000.00
23.	स्कूटर एजेन्सी (दो पहिया/तीन पहिया)	5000.00
24.	साईकिल की दुकान	1000.00
	पेट्रोलियम	
25.	पेट्रोल/डीजल पम्प थोक विक्रेता कम्पनी	25,000.00
26.	पेट्रोल/डीजल पम्प फुटकर विक्रेता	15,000.00
27.	जनरेटर, डीजल/पेट्रोल	10,000.00
28.	दुकान अन्य पेट्रेलियम उत्पादन	7,500.00

1	2	3
	अन्य व्यवसाय	
29.	नर्सिंग होम/अस्पताल	10,000.00
30.	क्लीनिक	2500.00
31.	मेडिकल स्टोर	5,000.00
32.	कृषि यंत्र, दवाईयां एवं फर्टीलाईजर	5,000.00
33.	धुलाई गृह (लान्ड्री)	25,00.00
34.	ड्राई क्लीनर	2,000.00
35.	फाइर्नेन्स कम्पनी, चिट फन्ड	5,000.00
36.	इन्सोरेन्स कम्पनी, प्रति शाखा	5,000.00
37.	फाउन्डिंग इंजीनियरिंग इन्ड्रस्टियल	20,000.00
38.	आईस फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिंक्स सोड़ा ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री	5,000.00
39.	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00
40.	आटा चक्की	5,000.00
41.	गूदड़/गुड़ गोदाम	1,000.00
42.	कंकड़ तथा सुर्खी की भट्टी	2,000.00
43.	चूना	1,000.00
44.	ईंट का भट्टा	25,000.00
45.	साबुन फैक्ट्री	10,000.00
46.	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेंट, ईंटा बालू (थोक मोरंग, मारवल, टाईल्स, सेनेटरी, हार्डवेयर)	10,000.00
47.	फुटकर बिजली के सामान के विक्रेता	5,000.00
48.	कपड़ा, थोक विक्रेता	10,000.00
49	कपडा, रिटेलर विक्रेता	5,000.00
50	कैटरिंग	5,000.00
51	बेकरी (भट्ठी)	5,000.00
52	बेकरी (पॉवर)	7,500.00
53	हेयर कटिंग सैलून (बडी)	5,000.00
54	हेयर कटिंग सैलून (छोटी)	2,000.00
55	ब्यूटी पार्लर	5,000.00
56	कुकिंग गैस एजेन्सी	15,000.00
57	जनरल मर्चेन्ट थोक	500.00
58	टेलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी)	5,000.00
59	टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी तक)	7,500.00
60	कोयला (थोक विक्रेता)	5,000.00
61	कोयला (फुटकर विक्रेता)	2,500.00
62	पेन्ट की दुकान	5000.00
63	ज्वैल्र्स (बड़े) 5 लाख से ऊपर टर्नओवर	10,000.00
64	ज्वैल्र्स (छोटे) 5 लाख तक टर्नओवर	5,000.00
65	विज्ञापन एजेन्सी	15,000.00
66	डेयरी (दूध, पनीर ,दही एवं दूध से बनी अन्य पदार्थ)	5,000.00
67	भूसा (थोक विक्रेता)	2,500.00
68	भूसा फुटकर विक्रेता	1,500.00
69	ऑडियों/वीडियो लाईब्रेरी	1500.00
70	मोबाईल विक्रेता/विभिन्न मोबाईल कम्पनीयों के रिचार्ज एवं मरम्मत की दुकान	5,000.00
71	केबिल टी0वी0	15,000.00

1	2	3
72	आर्किटेक्ट, कन्सलटेन्ट विधि चार्टेड एकाउन्टेन्ट, फास्ट एकाउन्टेन्ट	10,000.00
73	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खण्डसारी (थोक विक्रेता)	5000.00
74	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खण्डसारी (फुटकर विक्रेता)	2500.00
75	आईस फैक्ट्री	5,000.00
76	टेन्ट हाउस	5,000.00
77	टूर एण्ड ट्रेवल्स	5,000.00
78	साईबर कैफे (नेट सेवा प्रदाता)	5,000.00
79	मसाज केन्द्र/आयुर्वेदिक/प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र	2,500.00
80	संगीत कला केन्द्र	1000.00
81	अंग्रेजी शराब की दुकान	10,000.00
82	अंग्रेजी शराब बार	25,000.00
83	अंग्रेजी शराब की कैंटीन	5,000.00
84	देशी शराब की दुकान	10,000.00
85	देशी शराब बार	5,000.00
86	देशी शराब की कैंटीन	5,000.00
87	पान की दुकान	1000.00
88	चाय की दुकान	1000.00
89	जनरल मर्चेन्ट की दुकान (फुटकर)	5000.00
90	किताबों की थोक दुकान	5000.00
91	किताबों की फुटकर दुकान	2500.00
92	न्यूज़ पेपर	1000.00
93	लकड़ी के टाल की दुकान (थोक विक्रेता)	10,000.00
94	लकड़ी के टाल की दुकान (फुटकर विक्रेता)	5,000.00
95	टिम्बर मर्चेन्ट	10,000.00
96	रेडियो/मैकेनिक/टी0वी0 मरम्मत	1500.00
97	टी0वी0 शॉप/इलेक्ट्रोनिक वस्तुएँ	75,00.00
98	फर्टिलाईजर शॉप	5,000.00
99	मिठाई की दुकान (बडी)	25,000.00
100	मिठाई की दुकान (छोटी)	10000.00
101	चाट/बताशे की दुकान	1,000.00
102	ड्राई फ्रूट विक्रेता (थोक विक्रेता)	10,000.00
103	ड्राई फ्रूट विक्रेता (फुटकर विक्रेता)	7,500.00
104	गैस फिलिंग प्लांट	15,000.00
105	सब्जी की दुकान/फल की दुकान	5,000.00
106	जुस सैन्टर	5,000.00
107	मसाले थोक विक्रेता	1,000.00
108	फर्नीचर की दुकान (बडी)	25,000.00
109	फर्नीचर विक्रेता (छोटी)	15,000.00
110	क्रॉकरी विक्रेता	10,000.00
111	चूड़ी विक्रेता	5000.00
112	मिट्टी के तेल की दुकान	5000.00
113	किराना स्टोर की दुकान (बडी)	15,000.00
114	किराना स्टोर की दुकान (छोटी)	7,500.00

1	2	3
115	बर्तन की दुकान (बडी)	25,000.00
116	बर्तन की दुकान (छोटी)	10,000.00
117	कन्फैक्सनर्स की दुकान (बडी)	15,000.00
118	कन्फैक्सनर्स की दुकान (छोटी)	75,00.00
119	सुपर स्टोर	15,000.00
120	सुपर मॉल/मार्ट	15,000.00
121	जुतो की दुकान	5,000.00
122	पतंजली स्टोर (बडी)	10,000.00
123	पतंजली स्टोर (छोटी)	5000.00
124	कबाडी की दुकान	5,000.00
125	खाने की ठेली	3,600.00
126	प्रापर्टी डीलर की दुकान	5,000.00
127	प्रिन्टर कम्प्यूटर की दुकान	5,000.00
128	प्रिन्टींग प्रैस की दुकान	5,000.00
129	फलैक्स हार्डिंग आदि की दुकान	5,000.00
130	पूजा सामग्री विक्रय की दुकान	500.00
131	सेनेटरी हार्डवेयर की दुकान	10,000.00
132	स्टेशनरी की दुकान (बडी)	10,000.00
133	स्टेशनरी की दुकान (छोटी)	5,000.00
134	बैंक ए0टी0एम0	2,000.00
135	कोचिंग सैन्टर	5,000.00
136	फार्मेसी	10,000.00
137	जिम/व्यायामशाला (बडी)	15,000.00
138	जिम/व्यायामशाला (छोटी)	75,00.00
	पशुपालन	
	प्रति पशु	
	1–कुत्ता	100.00
	2–गाय/भैंस	500.00
	3–अन्य पशु	100.00

शास्ति

उपरोक्त उपनियम का उल्लंघन नगर पालिका अधिनियम, 1916, की धारा 29 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा जो रु0 1,000.00 रूपया तक ही हो सकता है। उपनियम का उल्लंघन निरन्तर जारी रहने पर अग्रेतर जुर्माना लिया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें व्यवसायी द्वारा निरन्तर अपराध करते रहना सिद्ध हो जाता है मूल्य रू0 100.00 प्रतिदिन तक हो सकता है। यह अधिकार, नगर पालिका परिषद् शिवालिकनगर हरिद्वार में अन्तिम रूप से निहित होगा।

बलविन्द्र सिंह,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
शिवालिकनगर, हरिद्वार।

राजीव शर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
शिवालिकनगर, हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 हिन्दी गजट/132–भाग 8–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।